रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14022025-261011
CG-DL-E-14022025-261011

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 731] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 12, 2025/माघ 23, 1946
No. 731] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 12, 2025/MAGHA 23, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(एसईजेड अनुभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2025

का.आ. 735(अ.).— यतः, मै. अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, ने गुजरात राज्य में मुंद्रा, कच्छ जिला में बहु उत्पाद के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न तालिका में उल्लेखित क्षेत्रों को उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में अधिसूचित तथा अनधिसूचित किया था;

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या और दिनांक	अधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अनधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1.	का.आ. 3029(अ) दिनांक 21.09.2016	8481.2784	-	8481.2784
2.	का.आ. 2452(अ) दिनांक 04.07.2019	-	46.6894	8434.5890
3.	का.आ. 4904(अ) दिनांक 29.11.2021	-	151.8220	8282.7670
4.	का.आ. 4424(अ) दिनांक 21.09.2022	-	48.5830	8234.1840

और यतः, मै मै. अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र से 333.7396 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और, यतः गुजरात राज्य सरकार ने उनके पत्र सं. आईसी/इंफ्रा/एसईजेड/एनओसी/2603621 दिनाक 22 मार्च, 2024 के प्रत्र के अनुसार प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अनधिसूचना के बाद, अनधिसूचित भूखंडों का उपयोग औद्योगिक उद्देश्य और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाएगा, जो मूल रूप से परिकल्पित एसईजेड के उद्देश्य को पूरा करेगा। अनधिसूचना के बाद ऐसा भूखंड संबंधित राज्य सरकार के भूमि उपयोग दिशा-निर्देशों/मास्टर प्लान के अनुरूप होगा;

और यतः विकास आयुक्त, अदानी पोर्ट्स विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 333.7396 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 333.7396 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 7900.4444 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचना के लिए सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्रफल नीचे तालिका में दिए गए हैं:-

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्र.सं	गावं का नाम	सर्वे नंबर	घटाया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	टुंडा	180/P	61.8403
2.		सर्वेक्षण रहित भूमि	271.2537

3.		180 पाइकी	0.6456
कुल			**333.7396**
उपयुक्त घटाव के पश्चात एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			**7900.4444**

[फा. सं. एफ.1/12/2016-एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(SEZ SECTION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 2025

S.O. 735 (E). – Whereas, M/s. Adani Ports & Special Economic Zone Ltd, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for multi-product SEZ at Mundra, Kutch, in the State of Gujarat;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified and de-notified the following areas at above Special Economic Zone as details given below in the table: -

Sl. No.	Notification No. and Date	Notified area (in Ha)	De-notified area (in Ha)	Total resultant area (in Ha)
1.	S.O.3029(E) dated 21.09.2016	8481.2784	-	8481.2784
2.	S.O.2452(E) dated 04.09.2019	-	46.6894	8434.5890
3.	S.O.4904(E) dated 29.11.2021	-	151.8220	8282.7670
4.	S.O.4904(E) dated 21.09.2022	-	48.5830	8234.1840

AND, WHEREAS, M/s. Adani Ports & Special Economic Zone Ltd has now proposed for de-notification of 333.7396 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Gujarat has given its approval to the proposal vide letter No. IC/INFRA/SEZ/NOC/2603621 dated 22nd March, 2024. After de-notification, the de-notified parcels of land would be utilised for industrial purpose and creation of infrastructure which would sub-serve the objective of the SEZ as originally envisaged. Such land parcel after de-notification will confirm to land use guidelines/ master plans of the respective State Government;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Adani Port & Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 333.7396 hectares of the Special Economic Zone.

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 333.7396 hectares, thereby making resultant area as 7900.4444 hectares, comprising the survey numbers and the area given below in the table, namely:-

TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA

S. No.	Name of Village	Survey No.	Area to be decreased (in Hectare)
1.	Tunda	180/P	61.8403
2.		Unsurveyed land	271.2537
3.		180 Paiki	0.6456
Total			**333.7396**
Grand total area of SEZ after above deletion			**7900.4444**

[F. No. F.1/12/2016-SEZ]

VIMAL ANAND , Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.02.14 11:45:53 +05'30'